

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 26.7.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मिस हीना परवीन पिता-मो० मसलाहुददीन ग्राम-भलुहीपुर आरा पो०-आरा थाना-नगर जिला-भोजपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	मो० मेराज पिता-मो० सेराज ग्राम-अब्दुल बारी भवन पानी टंकी, पो०-महेन्दु थाना-सुल्तानगंज जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
3	सीता देवी पति-संजीत चौधरी ग्राम-पो०-सुपौल थाना-पटोरी जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 48,000 /-(अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
4	निरंजन कुमार पिता-स्व. गंगा राय ग्राम-फुलिया टोला पो०-मुबारकपुर थाना-फुलवारी जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 48,000 /-(अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
5	कालिका राय पिता-राम शोभीत राय ग्राम-लिटियाही पोस्ट-रजासन थाना-राघोपुर जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,50,000 /-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।

31/7/17  
31/7/17

6	जय प्रकाश यादव पिता-भुप नारायण यादव ग्राम-भेलवा पोस्ट-आरण थाना-जिला-सहरसा	हृदय रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
7	मो० फजले करीम पिता-मो० याकुब ग्राम-बरदाहा पोस्ट-बौराम, थाना-जमालपुर जिला-दरभंगा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
8	गंगा सहनी पिता-जागेश्वर सहनी ग्राम-नगरगामा पोस्ट-सोयरा थाना-दलसिंह सराय जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग	₹ 85,000/- (पचासी हजार) स्वीकृत।
9	अजय कुमार पिता-नन्द किशोर प्रसाद ग्राम-इस्ट नन्द गोला, पटना सिटी, पो०-माधव मिल्स, थाना-मालसलामी जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।
10	आशा देवी पति-उमा शंकर ठाकुर ग्राम-पो०-बन्दरा थाना-पीयर जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 70,000/- (सतर हजार) स्वीकृत।
11	मास्टर अविनाश कुमार पिता-दिलिप राय ग्राम-बावन घाट पो०-अदलपुर थाना-महुआ जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
12	तेज नारायण सिंह पिता-स्व. दसई सिंह ग्राम-मठीया पो०-थाना-केसरीया जिला-पूर्वी चम्पारण	हृदय रोग	₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) स्वीकृत।
13	विशेश्वर पंडित पिता-वाउन पंडित ग्राम+पो०-रामचन्द्रपुर थाना-पीपरीया जिला-लखीसराय	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

31/04/23  
31/7/17

14	उषा देवी पति-सिकन्दर राम ग्राम-महेशपुर पो0-रोशनपुर, थाना-पीरपैती जिला-भागलपुर	हृदय रोग	₹ 48,000 /-(अड़तालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 13,34,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 13,34,000 /-( तेरह लाख चौतीस हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 367439 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम-"निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना" खाते का प्रकार- चालु, बैंक का नाम-इन्डियन ओबरसीज बैंक, शाखा का नाम-कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 367439 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-


निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 01-08-17

ज्ञापांक

1205(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री नन्द किशोर यादव मा0 सभापति लोक लेखा समिति/ सभी संबंधित मरीजों का/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14 / एम 11-3 / 17  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 26.7.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	कन्हैया लाल महतो पिता-स्व० सत्य नारायण महतो ग्राम-सहवाजपुर पो०-लालसाहपुर थाना-मब्बी जिला-दरभंगा सीभीनं०-35774 / 16	हृदय रोग	₹ 1,60,000 /-(एक लाख साठ हजार ) स्वीकृत।
2	काजल कुमारी पिता-अवधेश राय ग्राम-मल्लिकपुर पो०-रुसतमपुर थाना-राघोपुर, जिला-वैशाली सीभीनं०-90043 / 17	हृदय रोग	₹ 1,10,000 /-(एक लाख दस हजार ) स्वीकृत।
3	मिक्की कुमारी पिता-मुरली मनोहर प्रसाद ग्राम-गोला रोड रामगढ़वा पो०+थाना-रामगढ़वा जिला-पूर्वी चम्पारण सीभीनं०-17751 / 14	हृदय रोग	₹ 1,55,000 /-(एक लाख पचपन हजार ) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,25,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,25,000 /-( चार लाख पच्चीस हजार ) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 367490 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10874584258, खाता धारक का नाम-AIIMS CT PATIENT'S ACCOUNT खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नाम-अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।

21/8/17

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा0 आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतस्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...367790...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1206 (14)

पटना, दिनांक 01-08-17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में / श्री संजय सरावगी मा0 स0वि0स0 दरभंगा / श्री सचिन्द्र प्र0 सिंह मा0 स0वि0स0 कल्याणपुर / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
श्री. रंजित